Title : Need to provide basic rights to the Pakistani migrants settled in Jammu and Kashmir since 1947.

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं कृपया करके वे मेरी बात को ध्यान से सुन लें। देश को आजाद हुए करीब 58 वर्ा हो चुके हैं। जब देश आजाद हुआ था तब पाकिस्तान से बहुत से हिंदू अपना घरबार छोड़कर जम्मू-कश्मीर के अनेक स्थानों पर बसे। आज जम्मू-कश्मीर में एक लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी चौथी पीढ़ी शुरु हो गयी है लेकिन उनको राइट टू वोट आज तक नहीं मिला है। उनके बच्चे गवर्नमेंट मैडीकल कॉलिज, इंजीनियरिंग कॉलिज और यहां तक कि सरकार में चपरासी की नौकरी भी नहीं कर सकते हैं। आज वे लोग 112 दिन से जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे हैं। न तो जम्मू-कश्मीर की सरकार ने और न ही केन्द्र सरकार ने उनकी कोई सुध ली है। उन बच्चों और लोगों ने वहां की सरकार के खिलाफ हथियार नहीं उठाए और वे भारत माता की जय के नारे लगाते हैं।

इन 58 वर्ों में वहां चौथी पीढ़ी आ चुकी है और नयी पीढ़ी अपना भविय अंधकारमय समझती है। इसलिए मेरी विनती है कि जम्मू-कश्मीर सरकार से बात करके वहां के एक लाख लोगों को राइट टू वोट का अधिकार दिलवाया जाए। जब से पीडीपी की सरकार आई है उनको सड़क पर रेहड़ियां भी लगाने नहीं दी जाती हैं और उनसे पूछा जाता है कि क्या वे स्टेट सब्जैक्ट हैं यानी उनको वहां की नागरिकता है या नहीं। यह तो मानवाधिकारों का सरेआम उल्लंघन है। वे दलित और माइनोरिटीज से संबंधित लोग हैं जिनको उनका हक नहीं दिया जा रहा है। भारत में आकर जो लोग 58 सालों से रह रहे हैं उनको राइट टू वोट नहीं है। इसीलिए कोई भी पार्टी उनका हाल-चाल नहीं पूछती है। उनको राइट टू वोट दिया जाए जिससे वे भारत के अच्छे नागरिकों की भांति जी सकें। धन्यवाद।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Y. G. Mahajan − not present.

Yogi Aditya Nath − not present.

Dr. Sujan Chakraborty − not present.